संख्या– 549 / III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 29 जनवरी, 2014

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषय:– वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 32 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0,
लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32
कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 149.30 किमी0 + 05 सेतु तथा लागत ₹ 1264.32 लाख है, पर
टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1264.32 लाख (₹ बारह करोड़ चौसठ लाख बत्तीस मात्र) की
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर
उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 32 कार्य हेतु ₹ 3.20 लाख (₹ तीन लाख बीस हजार
मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा
तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की
जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार
अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि
किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत
आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग
द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे
मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय
निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों
भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–06–2006 द्वारा
निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध
यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अ
सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण
कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

http://f6check.rediff.com/bn/downloadajax.cgi/Picture_047.jpg?login=eepwdthatyur&session_id=6L30...

सहायक अभियन्ता
प्र० खण्ड लो०नि०वि०
थत्यूड (टि०ग०)

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

(7)

6

(3)

शासनादेश संख्याः– 549 / III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014 का संलग्नक

13	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत नैखरी से मोल्ठा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	35.90 (29.25 लाख + 6.65लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
14	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौंडू रानीताल से मोल्टा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10.00	79.50 [58.50 + 21.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
15	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत उनाना से रूमधार मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	31.12 [23.40 + 7.72 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
16	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत बरसोली से गवाणा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	23.76 [17.55 + 6.21 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
17	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत थाती डागर से पीपलीधार–कोठार–पाली –गोदी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	8.00	62.24 [46.80 + 15.44 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
18	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत गुरुदेवल–रलेथी–पवारगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 6 जोगियाणा बैण्ड से चमालगांव होते हुए हिण्डोलाखाल–पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 7 स्थान खोलीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.500	34.97 [26.33 + 8.64 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
19	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत व्यासघाट से डांडा नागराजा सिद्धपीठ तक ग्राम–सिल्सू होकर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	92.70 [58.50 + 34.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
20	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम दानीजाला को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु गोला नदी के ऊपर 100 मी0 स्पान के झूला पुल का निर्माण कार्य।	100 mt	5.00	0.10
21	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में अगलाड़–थत्यूड़ मोटर मार्ग पर क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नव निर्माण।	15.00	117.75 [87.75 + 30.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
22	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से क्यारी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	42.97 [29.25 + 13.72 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
23	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत [illegible] बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के विस्तार का 20 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 सेतु सहित निर्माण।	2.50 + 20mt	19.75 [[illegible] + [illegible] उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10

इमा० प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
[illegible] खण्ड लो०नि०वि०
घत्यूड (टि०ग०)

-5-

शासनादेश संख्या– 542 /II(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014 का संलग्नक

24	जनपद [illegible] के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड [illegible] के अन्तर्गत चिन्यालीसौड –जोगथ मोटर मार्ग से [illegible] तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	20.51 [5.85 + 14.66 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
25	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 [illegible] से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	119.65 [32.85 + 86.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
26	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग से पयासरी होते हुए ब्रह्मखाल–[illegible] मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 24 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित कार्य।	5.00 + 24 mt	89.93 [30.93 + 59.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
27	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में गगटाडी से पटागणी होते हुए बरसाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	63.14 [40.95 + 22.19 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
28	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत मालना से लोल्दू मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	2.00	0.34	0.10
29	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र–धनोल्टी के विकासखण्ड–जौनपुर के [illegible] कुण्ड [illegible] की [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण।	9.00	70.65 [52.65 + 18.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
30	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान–थुवासिमल मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 से उटेश्वर महादेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	23.45 [17.55 + 5.90 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
31	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली (मनिआगर)–मैचून मोटर मार्ग का ग्राम बतोली तक विस्तार का कार्य।	3.00	22.98 [17.55 + 5.43 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
32	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या–डसीली मोटर मार्ग से ग्राम गौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	15.32 [11.70 + 3.62 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
	योगः–	154.30 + 05	1264.32	3.20

(कुल ₹ तीन लाख बीस हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

सहायक अभियन्ता
द्व० खण्ड लो०नि०वि०

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अ[illegible] का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया [illegible] यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्य[illegible] मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामी[illegible] योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकत[illegible] ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, [illegible] से अथवा आशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान[illegible] हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग [illegible] सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -अ[illegible] -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 730/XXVII(2)/2013 दि0: 28 जनवरी[illegible] प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह [illegible])
अपर सचि[illegible]

संख्याः- 549 (1)/III(2)/14-49(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

No- 453/[illegible] dt 4/3/2014
प्रतिलिपि सहायक अभि0 प्रथम/ अपर सहा0 अभि0 प्रा0 [illegible] बजट लेखाधिकार को सूचनार्थ व आव0 कार्य0 हेतु प्रेषित
प्रति स्वयं हेतु

अधिशासी [illegible]
[illegible]

सहायक अभियन्ता
[illegible] खण्ड लो0नि0वि0

f6check.rediff.com/bn/downloadajax.cgi/Picture_048.jpg?login=eepwdthatyur&session_id=6L30PI

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com